

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 207 / 2015

दायर दिनांक 09.08.2015

उनवान
भैरूलाल बनाम रतन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 28.06.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी, उपस्थित। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद विधि विरुध होने से खारिज या जा चुका है। चूंकि वाद खारिज किया जा चुका है, अतः प्रार्थना पत्र पर कोई दाद नहीं दी जा सकने से स्वतः खारिज है। प्रार्थना पत्र मूल वाद के संलग्न रहे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

